



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 177 राँची, शुक्रवार, 4 वैशाख, 1948 (श०)
24 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 मार्च, 2026

संख्या-5/आरोप-1-42/2016 का०- 1861--श्री मनमोहन प्रसाद, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-691A/03) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-27/विकास, दिनांक 06.01.2009 के द्वारा गठित प्रपत्र- 'क' में निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

आरोप-

(क) श्री प्रसाद द्वारा अपने पदस्थापन के दौरान योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं किया जाता था जिसके कारण प्रखण्ड के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता सही ढंग से संचालित नहीं हो रही थी। चुरचू प्रखण्ड के अन्तर्गत नरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं की जांच में निम्न त्रुटियाँ पाई गई :-

(i) सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं में पंचायत इन्दा, हेसालौंग, हुआग, जरबा, हेसागढ़ा में कूप निर्माण की योजनाओं में कार्य से अधिक मापी किया गया, काम के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया एवं कार्यपूर्ण होने पर भी मापी नहीं ली गई।

(ii) 20' (फिट) व्यास कूप निर्माण का जोड़ाई कार्य मिट्टी से किया पाया गया जबकि प्राक्कलन के अनुसार कूप का जोड़ाई कार्य प्रारम्भ में 10' (फिट) मिट्टी से एवं शेष सीमेंट से कराये जाने का प्रावधान है। चुरचू प्रखण्ड में कलस्टर कूप निर्माण में महज खाना पुरी की गई और वैसे लाभुक जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं उन्हें भी कलस्टर कूप दिया गया। कूप का निर्माण कलस्टर में न होकर पूरे गाँव के विभिन्न स्थानों में किया गया। कूप का निर्माण खेत में न करके घर के आँगन में किया गया जिससे सिंचाई का काम नहीं लिया जा सकता।

(ख) श्री प्रसाद द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों यथा पंचायत सेवक एवं कनीय अभियंता के माध्यम से नरेगा के विभिन्न लाभुकों से कमीशन के रूप में नाजायज राशि वसूला जाता था।

(ग) श्री प्रसाद की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण तापस सोरेन के ईलाज एवं मृत्यु के उपरान्त मुआवजा आदि का भुगतान करना पड़ा जिसके कारण सरकारी राशि का व्यय हुआ।

2. उक्त आरोपों की जाँच हेतु श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०- 2776 दिनांक 28.04.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक- रा०स०-124/पी०एस० (गो०) दिनांक-07.05.2012 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से सीधे तौर पर किसी आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है, परन्तु आरोप पत्र में बतायी गई त्रुटियों के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नाते इन्हें जवाबदेह बताया गया।

4. समीक्षोपरान्त, श्री प्रसाद को आरोप सं०- (क) (i) एवं (ii) के लिए दोषी माना गया। तदनुसार तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 8119 दिनांक 12.07.2012 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इसके अनुपालन में श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र, दिनांक 06.08.2012 एवं पत्र दिनांक-18.08.2012 द्वारा समर्पित किया गया।

5. श्री प्रसाद के द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब के समीक्षोपरांत आरोप सं०-(क) (i) एवं (ii) में श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों, जो प्रमाणित पाये गये हैं, के लिए विभागीय संकल्प सं० 13920, दिनांक 20.12.2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनपर इनकी तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी।

7. समीक्षोपरान्त, श्री प्रसाद के अपील आवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-4280, दिनांक 13.05.2015 द्वारा विभागीय संकल्प सं0-13920, दिनांक-20.12.2012 को विलोपित करते हुए इनके विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

8. विभागीय संकल्प सं0-4280, दिनांक 13.05.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने हेतु श्री प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 181/2016-मनमोहन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-28.11.2019 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4280, दिनांक-13.05.2015 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13920, दिनांक-20.12.2012 को निरस्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"-----As a sequel to the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, it is crystal clear that without application of mind, the order of punishment has been inflicted. The respondents, while inflicting punishment of withholding of three increments without cumulative effect has not taken into consideration the findings of the Enquiry Officer, who exonerated the petitioner from the charges. No man should be put twice in parity for same offence meaning thereby person, who has been previously acquitted on the same charge on which he is being prosecuted earlier, he would not be punished twice and as such, impugned order dated 13.05.2015 contained in Memo No. 4280 (Annexure-25) and Resolution dated 20.10.2012 contained in Memo No.-13920 (Annexure-14) are liable to be quashed and set aside and are hereby, quashed and set aside.

As a result of the quashment of the impugned orders, the petitioner is entitled for all the consequential benefits. Accordingly, writ petition stands allowed."

9. W.P.(S) No.-181/2016- Man Mohan Prasad Vrs. the State of Jharkhand & Others में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा L.P.A No.-144/2020- The State of Jharkhand & Others Vrs. Man Mohan Prasad दायर की गयी।

10. L.P.A No.-144/2020- The State of Jharkhand & Others Vrs. Man Mohan Prasad में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक- 26.06.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त L.P.A को निरस्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"-----18. The admitted fact of the present case is that the disciplinary authority, while differing with the finding of the enquiry officer, has not mentioned the reason for differing with the finding of the enquiry officer, then a question would arise that on what basis the punishment has been imposed that too without following the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of "Kunj Behari Misra" (Supra).

19. The learned Single Judge has taken into consideration the aforesaid fact as would be evident from the finding recorded in the impugned order, wherein the learned Single Judge has taken into consideration that the disciplinary authority has not assigned any reasons for differing with the enquiry report and as such, punishment inflicted against the petitioner is non est in the eyes of law.

20. Further the learned single Judge has also taken into consideration that no man should be put twice in parity for same offence meaning thereby person, who has been previously acquitted on the same charge on which he is being prosecuted earlier, he would not be punished twice.

21. This Court, on consideration of the order passed by the learned Single Judge and on the basis of the admitted fact that inspite of the fact the inquiry officer has not found the charge proved against the writ petitioner three annual increments of the writ petitioner without cumulative effect has been withheld by the disciplinary authority, is of the view that the learned Single Judge has not erred in passing the order by quashing and setting aside the impugned order dated 13.05.2015 contained in Memo No.4280 (Annexure-25 to the writ petition) and Resolution dated 20.10.2012 contained in Memo No.13290 (Annexure 14 to the writ petition).

22. Accordingly, this Court is of the view that it is not a fit case to interfere with the order dated 28.11.2019 passed by the learned Single Judge in W.P(S) No.181 of 2016 and, consequently, the instant appeal stands dismissed.

23. Accordingly, L.P.A No.144 of 2020 stands dismissed and disposed of as such.

24. Pending I.As, if any, stands disposed of."

11. L.P.A No.-144/2020- The State of Jharkhand & Others Vrs. Man Mohan Prasad में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-26.06.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध SLP (Diary) No.- 54613/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मनमोहन प्रसाद दायर किया गया ।

12. SLP (Diary) No.- 54613/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मनमोहन प्रसाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-27.02.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त SLP को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"-----1. Delay Condoned.

2. We are not inclined to interfere with the impugned judgement and order of the High Court; hence, the special leave petition is dismissed.

3. Pending interlocutory application(s), if any, shall stand disposed of."

13. विदित हो कि W.P. (S) No.-181/2016 मनमोहन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु माननीय न्यायालय में Cont. Case (Civil) No.- 609/2021 मनमोहन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है ।

14. अतः समीक्षोपरान्त, उपर वर्णित न्यायादेशों के आलोक में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है-

(क) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13920, दिनांक-20.12.2012 के द्वारा श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-691A/03), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिरोपित तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने जाने का दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

(ख) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4280, दिनांक-13.05.2015 के द्वारा श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-691A/03), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड को विलोपित किया जाता है ।

15. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनमोहन प्रसाद, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-691A/03), सम्प्रति-सेवानिवृत्त एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
